फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रामचन्द्र बनाम तहसीलदार माण्डल

कस्म मुकदमा ....प्रा०पत्र............ नं0.......169...... सन् ......2018......

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.6-18	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27-6-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
27-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प ग्राम कबराड़िया मे पेश हुई. उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगणो ने अपनी कृषि खातेदारी अधिकार आराजी सं: 232 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा ग्राम हिसनिया पटवार हल्का हिसनिया तहसील माण्डल मे स्थित है जिस पर काश्त करने व आने जाने के लिए कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड मे नहीं है वर्तमान मे प्रार्थीगण बिलानाम भूमि आराजी नं० 237 व 238 मे से रास्ता चलते है उसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार माण्डल व पटवार हल्का हिसनिया द्वारा रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नं० 232 मे जाने हेतु बिलानाम आराजी नं० 237 व 238 की दक्षिण दिशा मे मेड़ के सहारे-सहारे रास्ता चाहा जिसमे बिलानाम आ० नं० 237 मे से 03 बिस्वा एंव आ० नं० 238 मे से 01 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 04 बिस्वा बनता है। तहसीलदार माण्डल द्वारा वर्तमान मे प्रचलित डी एल सी दर की दुगनी राशि की गणना कर राशि 22500/- रुपये उपखण्ड अधिकारी माण्डल (भीलवाड़ा)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की ताम में जारी हु
	चालान नं. 31 दिनांक 22.6.18 से राजकोष मे जमा करा चालान की एक मूल कॉपी प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।	

:: आदेश ::

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम हिसनिया पटवार हल्का हिसनिया तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा के आराजी नं. 232 मे आने जाने बिलानाम आ० नं० 237 मे से 03 बिस्वा एवं आ० नं० 238 मे से 01 बिस्वा भूमि दक्षिण दिशा मे मेड के सहारे सहारे रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल उपरोक्तनुसार पालना करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल (भीलवाड़ा)